16.12.25

वकु. पक्ष. उप. / उभयपक्ष के अधि०
की बहस सुनी गयी।

अधि० प्रार्थी द्वारा प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में मूल प्रार्थना पत्र धारा-232 अदम हाजरी, अदम पैरवी में प्रार्थी व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में खारिज कर दी गयी।

प्रार्थी की ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त थे और वह नियत पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाये, प्रार्थीगण अपने अधिवक्ता के विश्वास पर रहा, जिस कारण वह नियत पेशी दिनांक पर उपस्थित नहीं हो सका। उक्त प्रकरण जमीन जायदाद से संबंधित होने से उनके हक-अधिकार प्रभावित हो रहे है, न्यायहित में प्रा. पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश फरमावें। और अपने बहस कथन के समर्थन में लिखित बहस पेश की। जो शा. मि. की गई।

राज. अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर मौखिक रूप से विरोध प्रकट किया।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर गहन मनन किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र O9R9 का नियत अवधी में प्रस्तुत किया है, ~~जिस पर अविश्वास का उचित कारण~~ तथा प्रार्थना पत्र के समर्थन में नोटरीशुदा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। जिस पर अविश्वास का उचित कारण प्रतीत नहीं होता है। चूंकि प्रकरण जमीन जायदाद से संबंधित है अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा मूल प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नम्बर से कम की जाकर मूल प्रा. पत्र सं. 03/2016 को पुनः दर्ज रजिस्टर कर साथ संलग्न हो।

(हस्ताक्षर)
जिला कलक्टर
राजसमन्द